



प्रेस विज्ञप्ति
26/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की धारा 4 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष राशिद नसीम (शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था और राशिद नसीम, उनके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 127.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने का अनुरोध किया था। माननीय विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और दिनांक 25.09.2024 को इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ईडी ने राशिद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन्होंने निवेश के नाम पर जनता से लगभग 800-1000 करोड़ रुपये की भारी रकम एकत्र की थी। उन्होंने ऐसे निवेशों पर भारी रिटर्न का वादा किया और आखिरकार धोखाधड़ी करके निवेशकों को ठगा।

इसके बाद, ईडी ने जांच की और धन-शोधन के अपराध में शामिल आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों की पहचान की। इसके अलावा, जांच में राशिद नसीम को धन-शोधन के अपराध में शामिल पाया गया और तदनुसार इस मामले में 04 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, ईडी द्वारा की गई जांच में उन संपत्तियों/परिसंपत्तियों की पहचान की गई है जो अपराध की आय हैं और इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की मात्रा 189.39 करोड़ रुपये है।

एफईओए के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि राशिद नसीम भारत छोड़ चुका है, और यह पक्के तौर पर पता चला है कि वह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रह रहा है। वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए भारत नहीं लौट रहा है। राशिद नसीम के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट, लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। अब, माननीय विशेष न्यायालय द्वारा राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

आगे की जांच जारी है।